


निविदा आमंत्रण सूचना पत्र

अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का आदेश क्रमांक 560/एनआर-4/ वित्त एवं लेखा/2017 भोपाल, दिनांक 10.08.2017 के अनुसार जिला पंचायत उमरिया में कार्यालयीन कार्य हेतु टैक्सी परमिट चार पहिया वाहन किराये पर लिये जाने हैं वाहन दो वर्ष से अधिक पुराना न हो, नवीन वाहन को प्राथमिकता दी जावेगी।

इस हेतु इच्छुक वाहन मालिक निर्धारित प्रारूप पर निविदायें दिनांक 10.09.2020 दोपहर 12:00 बजे तक बंद लिफाफे में इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। निविदादाता को निविदा धरोहर की राशि 5000/- का डी.डी. "मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत उमरिया" के पक्ष में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

विज्ञप्ति से संबंधित विस्तृत शर्तें इस कार्यालय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है निविदा फार्म एवं निविदा शर्तें राशि रु. 500/- जमा कर कार्यालय से दिनांक 10.09.2020 दोपहर 5.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।


मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत उमरिया
मध्यप्रदेश